

अल्प कालीन निविदा सूचना

लोक निर्माण विभाग या अन्य शासकीय विभागों में पंजीकृत निर्माण कार्यो के अनुभवी एवं मान्यता प्राप्त तथा निम्न शर्तो को पूर्ण करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा दिनांक 28.12.2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 19.12.2015 से 26.12.2015 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क(व्यापार कर सहित) जमाकर प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन निर्माण कार्य)
1	कौसानी में पर्यटन कार्यालय का निर्माण।	570.00	35,000.00	6 माह	1 माह	डी एवं उच्चतर
2	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टॉडी में नव निर्मित भवन का अवशेष कार्य।	570.00	14,500.00	2 माह	1 माह	डी एवं उच्चतर
3	प0आ0गृह भतरोंजखान जिला-अल्मोडा में विद्युतीकरण का कार्य।	570.00	18000.00	12 माह	1 माह	

शर्त:- किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं www.kmvn.gov.in में देखी जा सकती हैं।

निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है:-

- 1- निविदा केवल पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा कय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2- निविदा के साथ रु0 100/- का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रु0 1/- का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- 3- निविदा की धरोहर राशि एन.एस.सी./एफ.डी.आर./कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक (नि0) के नाम बन्धक संलग्न करना अनिवार्य है तथा बिना धरोहर राशि संलग्न किये निविदा मान्य नहीं होगी।
- 4- अपूर्ण, सशर्त एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी।
- 5- निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6- अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।
- 7- निविदा के साथ बिक्री कर एवं आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 8- अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक, एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 9- अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाना आवश्यक है।
- 10- निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23-999-11/96लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।
- 11- यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुंगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 12- ठेकेदार को भवन निर्माण कार्य का अनुभव होना चाहिए।
- 13- क्र0सं0 (1) एवं (3) के कार्यो में सर्विस टैक्स की देयता होगी। अतः निविदा के साथ सर्विस टैक्स विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14- निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
- 15- निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होगी।
- 16- विद्युतीकरण कार्य की निविदा के साथ विद्युत सुरक्षा विभाग हल्द्वानी द्वारा विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स की प्रति लगाना आवश्यक होगा।

(विजय कुमार)
महाप्रबन्धक(नि0)

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि० नैनीताल

पत्रांक 85 /10-77/निर्माण दिनांक 19/12/2015

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
- 2- सहायक अभियन्ता, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, रानीखेत/नैनीताल/पिथौरागढ़ /अल्मोड़ा/बागेश्वर को शैयडूल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।
- 3- समस्त सहायक अभियन्ता, कु०म०वि०नि० चम्पावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम को व्यापक प्रचार हेतु ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, रानीखेत/नैनीताल/पिथौरागढ़/अल्मोड़ा/बागेश्वर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
- 5- मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु ।
- 6- अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।
- 7- निविदा कम्प्यूटर कक्ष को बेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक(नि०)